Code of Conduct

Govt. Degree College, Bilaspur (Rampur) U.P.

(Internal Quality Assurance Cell.) CODE OF CONDUCT FOR STUDENTS

- Every student shall wear clean, neat and formal dress, fitted to our culture and tradition.
- During class hours a student cannot go out of the classroom without the permission of the teacher concerned. Students who violate this rule will have to face disciplinary action.
- The college expects students of both sexes to foster a healthy and decent relationship both on campus and of campus. The very spirit of co-education lies in facilitating such a relationship. Any behaviour contrary to this sprit is deemed unlawful and punishable.
- 4. When a teacher enters the classrooms, the students should raise and keep standing until they are asked to sit or until the teacher takes his/her seat.
- 5. Late comers are forbidden from entering the classrooms.
- Students shall move from one classroom to another or get out of the classroom in an orderly manner, without making any noise.
- Defacing the blackboards of walls will be severely dealt with.
- Students should handle the furniture and other properties with care. Damage to the furniture will lead to penalty or suspension from college.
- 9. Students should stay away from any anti social activities.
- 10. Students should stay wear their identity cards inside the campus daily.
- 11. Ragging in any form is a serious offence and it will be dealt with severely.
- Damage fee will be collected for any damage caused by them knowingly or unknowingly.
- Visitors are not allowed to meet the students in the classrooms.
- Students should take care of their belongings. The institution will not be responsible for any loss.

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर

जनपद-रामपुर (उ०प्र०)

महाविद्यालय हेतु आचार संहिता

- महाविद्यालय के छात्र / छात्राएँ महाविद्यालय की अचार संहिता का पूर्णतः पालन करेंगे।
- 2. महाविद्यालय के छात्र / छात्राएँ पूर्णतः अनुशासन में रहेंगे।
- 3. महाविद्यालय में समस्त छात्र-छात्राएँ अपना परिचय पत्र अवश्य साथ लाएँ।
- 4. छात्र / छात्राओं के परिधान पूर्ण रूप से सभ्य होना चाहिए।
- 5. छात्र / छात्राएँ नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में उपस्थित रहेंगे।
- 6. छात्र / छात्राएँ शैक्षणिक कार्यों के अतिरिक्त शिक्षणेत्तर गतिविधियों में भी अंपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे जिससे कि उनके व्यक्तित्व का सर्वागीण विकास हो सकें।
- छात्र / छात्राएँ, प्राचार्य, प्राध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रति सम्मान जनक तथा सोहार्दपूर्ण व्यवहार करेंगे।
- महाविद्यालय के छात्र / छात्राओं की कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
- महाविद्यालय की सार्वजनिक सम्पत्तियों की पूर्ण रूप से सुरक्षा करेंगे। सार्वजनिक संपत्तियों को क्षिति पहुँचाने पर नियमपूर्वक दंडात्मक कार्रवाई होगी।
- महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ, निर्मल, पॉलोथीन मुक्त, प्रदूषणमुक्त तथा हरा—भरा बनाये रखने में सहयोग करेंगे।
- 11. महाविद्यालय परिसर में छात्र / छात्राएँ अपने साथ कीमती सामान न लायें।
- 12. महाविद्यालय परिसर में पूर्ण शांति व्यवस्था तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने में सहयोग प्रदान करेंगे।
- महाविद्यालय परिसर में छात्र—छात्राएँ अपने निजी समान की सुरक्षा स्वयं करेंगे।
- 14. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा बनाये गये नियम तथा निर्देशों का छात्र—छात्राएँ पूर्णतः पालन करें।
- 15. महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतः वर्जित एवं दंडनीय है।
- 16. महाविद्यालय परिसर में मादक पदार्थों का सेवन पूर्णतः वर्जित है।
- 17. महाविद्यालय में छात्र / छात्राएँ बिद्युत, जल एवं अन्य किसी भी चीज का दुरूपयोग न करें।